



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 59 राँची, मंगलवार, 5 फाल्गुन, 1947 (श०)
24 फ़रवरी, 2026 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

11 जनवरी, 2026

संख्या-08/न्या०मा०-21/2025/न०वि०आ०- 76--

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद **Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE"** के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद **Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE"** में दिनांक-07.11.2025 को पारित आदेश में माननीय सर्वोच्च द्वारा सभी राज्यों को आवारा कुत्तों और पशु नियंत्रण को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-07.11.2025 को पारित आदेश के Operative Parts को निम्नवत् अंकित किया गया है:-

Part	Points	Directions
Part I	The compliance affidavits filed by the States and Union Territories pursuant to this Court's earlier directions and the summary report prepared by the learned Amicus Curiae, Shri Gaurav Agrawal.	The report submitted by the learned Amicus Curiae, Shri Gaurav Agrawal, is taken on record and shall form part of this Order. The Registry is directed to annex the same as Schedule I. The contents of the said report shall be read as part and parcel of this order for all purposes. The States and Union Territories shall peruse the report and take appropriate steps to address the deficiencies and shortcomings pointed out therein. Each State and Union Territory shall file comprehensive additional affidavits before the next date of hearing, specifically indicating the remedial measures undertaken to ensure full compliance with this Court's directions and to rectify the lapses highlighted in the report of the learned amicus curiae. Any lethargy in this regard shall be viewed seriously.
Part II	The modification, application and implementation of the directions issued by the High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur in D.B. Civil Writ Petition No. 14726 of 2025.	A. The directions issued by the High Court of Rajasthan at Jodhpur in D.B. Civil Writ Petition No. 14726 of 2025 vide order dated 11th August, 2025, are hereby reaffirmed, to the extent that the municipal authorities, road and transport department/ Public Works Department of all the States and Union Territories and the National Highways Authority of India (NHAI) shall ensure the removal of all cattle and other stray animals from the State Highways, National Highways, and National Expressways falling within their respective jurisdictions. B. The concerned authorities, i.e., the municipal authorities, the road and transport department/ Public Works Department of all the States and Union Territories and the National Highways Authority of India shall undertake a joint, coordinated drive to identify stretches of highways and expressways where stray cattle or animals are frequently found, and shall take immediate steps for their removal and relocation to designated shelters. The cattle and other stray animals so picked up shall be kept in appropriate shelters or Gaushalas/cattle pounds, as the case may be, and provided with all necessary food, water, and veterinary care, in accordance with the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2023. C. Each authority shall constitute dedicated highway patrol teams and/or assign existing road-safety units for continuous surveillance and immediate response to reports of stray cattle or other animals obstructing the roadways. Such patrols shall function on a 24x7 basis and coordinate with local police stations, veterinary officers, and municipal authorities/ Panchayati Raj institutions. D. All National Highways, State Highways, and National Expressways shall have prominently displayed helpline numbers at regular intervals, enabling commuters to promptly report the presence of stray animals or accidents caused thereby. These helplines shall be linked to the control rooms of the local police, National Highways Authority of India, and district administration for real time redressal and monitoring. E. The Chief Secretaries of all States and Union Territories, together with the Chairperson, National Highways Authority of India, shall ensure strict enforcement of these directions through appropriate administrative orders and field-level monitoring. They shall hold the concerned officers personally accountable for lapses or recurring incidents in their respective jurisdictions. F. The aforesaid directions shall be implemented uniformly across India, and the Chief Secretaries of all States and Union Territories; Chairperson, National Highways Authority of India; and Ministry of Road Transport and Highways, Union of India shall file status-cum-compliance affidavits within a period of eight weeks from today, indicating:

Part	Points	Directions
		i. the mechanism established for removal and sheltering of stray animals from highways; ii. the constitution and functioning of patrol teams; and iii. the operational status of helpline facilities and installation of sign boards displaying helpline numbers.
Part III	The issuance of further directions in respect of institutional areas, including educational establishments, hospitals, sports complexes, and other public spaces such as railway stations and bus depots, where incidents of dog-bite attacks continue to be reported with alarming frequency, raising a cause of grave concern and requiring emergent remedial measures.	The persistence of problem cause for holistic and coordinated approach involving municipal corporations, public health authorities, and administration of the institutions, to ensure that the constitutional mandate of safeguarding the right to life under Article-21 is not compromised by administrative inaction or inefficiency.

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश की कंडिका-25 में निम्नांकित निदेश दिये गये हैं:-

25. Having regard to the alarming rise in incidents of dog bites within institutional areas such as educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands/depots (including Inter-State Bus Terminals) and railway stations, this Court deems it appropriate to issue the following directions in the interest of public safety, health, and management of stray dogs:

A. The State Governments and Union Territories shall through their respective local/ municipal authorities, within a period of two weeks, identify all Government and private educational institutions, hospitals (including district hospitals, primary health centres, and medical colleges), public sports complexes or stadia, bus stands/depots Inter-State Bus (including Terminals) and railway stations situated within their territorial limits.

B. The administrative heads of the aforesaid institutions shall through their respective local/ municipal authorities, under the overall supervision of the District Magistrate concerned,

Ensure that the premises are secured by adequate fencing, boundary walls, gates and such other structural or administrative measures as may be necessary to prevent the ingress of stray dogs. The said exercise shall be completed as soon as possible and preferably within a period of 8 weeks from today.

C. The management of every educational institution, hospital, sports complex, bus stand/depot (including Inter-State Bus Terminal) and railway station identified under Direction (A) shall designate a Nodal Officer responsible for the upkeep and cleanliness of the premises and for ensuring that stray dogs do not enter or inhabit the campus. The details of the said officer shall be displayed prominently at the entrance and notified to the jurisdictional municipal body/authority.

D. The local municipal authorities and panchayats shall carry out regular inspections, at least once in every three months, of all such premises to ensure that no stray dog habitats exist within or in the immediate vicinity of these institutions. Any lapse in this regard shall be viewed seriously, and responsibility shall be fixed upon the concerned municipal officials/administrative authorities.

E. It shall be the responsibility of the jurisdictional municipal body/authority to forthwith remove every stray dog found within the premises of an educational institution, hospital (public or private),

sports complex, bus stand/depot (including Inter-State Bus Terminal) or railway station and to shift such animal/s to a designated shelter, after due sterilization and vaccination, in accordance with the Animal Birth Control Rules, 2023. The stray dogs so picked up shall not be released back to the same location from which they were picked up. We have consciously directed the non-release of such stray dogs to the same location from which they were picked up, as permitting the same would frustrate the very effect of the directions issued to liberate such institutional areas from the presence of stray dogs.

F. All Government and private hospitals shall maintain a mandatory stock of anti-rabies vaccines and immunoglobulin at all times.

G. Every school and educational institution shall be directed by the Ministry of Education, Government of India, to conduct awareness sessions for students and staff on preventive behavior around animals, first-aid in case of bites, and immediate reporting protocols.

H. The management of stadiums and sports complexes shall ensure the deployment of security or ground-keeping personnel specifically tasked with around the clock vigil against the entry or habitation of stray dogs.

I. The railway authorities having jurisdiction over the railway stations as well as the State transport corporations and municipal authorities having jurisdiction over bus stands, depots and Inter- State Bus Terminals, shall ensure that such public-transport premises/facilities are effectively secured and maintained so as to prevent the habitation or movement of stray dogs within their premises. Proper waste-management systems shall be implemented to eliminate food sources that attract animals, and regular inspections shall be conducted to detect and address the presence of stray dogs.

J. Animal Welfare Board of India shall, within four weeks, issue detailed Standard Operating Procedures (SOPs) for prevention of dog bites and management of stray dogs in institutional premises (public or private) including but not limited to Government and private educational institutions, hospitals (including district hospitals, primary health centres, and medical colleges), and sports complexes or stadia, to be uniformly adopted across all States and Union Territories.

4. पुनःमाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये हैं:-

The Chief Secretaries of all States and Union Territories shall file their affidavits of compliance before this Court within a period of 8 weeks from today, specifically indicating:

- i. The steps taken to secure the premises of the educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands/depots (including Inter- State Bus Terminals) and railway stations;
- ii. The mechanism put in place for regular oversight inspection, coordination and reporting with municipal authorities/Panchayati Raj institutions; and
- iii. The availability of anti-rabies vaccines and immunoglobulin in all Government medical facilities.

5. मुख्य सचिव, झारखण्ड के स्तर से दिनांक-31.10.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश भर के अलग-अलग राज्यों द्वारा दायर किये गये शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों की समीक्षा की गयी है एवं न्यायालय द्वारा नियुक्त **Amicus Curiae** श्री गौरव अग्रवाल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों का Synopsis प्रस्तुत किया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस निर्णय में Schedule-1 के रूप में शामिल किया गया है एवं उसे इस न्याय निर्णय का अंश बनाया गया है, जो निम्नवत् है:-

Jharkhand
Dog Bites Cases Reported

	2022	2023	2024	2025 (in January)
Jharkhand	9,539	31,251	43,875	5,344

A) Animal Birth Control Centers:

	Directions of this Hon'ble Court	State Response
1	How many animal birth control centres are there in state? What is the capacity for immunization – sterilization on daily basis?	In 49 municipalities in the State, there are a total of 12 pounds/shelters and 50 kennels <u>Submission:</u> The affidavit is not clear that the said pounds/shelters and kennels are ABC centres as mandated by ABC Rules, which are fully capable of carrying out sterilization stray dogs. Therefore, the State may be directed to file a detailed affidavit regarding the ABC centres in the State which are required by ABC rules. If the State does not have sufficient ABC centres, the State may also indicate the timeline during which the said centres would be established in the State, atleast in major cities.
2	How many dogs are vaccinated/sterilized	In 2024-25, 29,491 dogs have been sterilized in the State. 74,315 dogs have been vaccinated during 2019-2025. <u>Suggestion:</u> It is submitted that the figures of vaccination/sterilization are very low. It is submitted that the State Government should prepare a plan of action for Sterilization of stray dogs to be begin with in those cities where there is high dog population/dog bites.
3	How many dogs were identified as rabies infected/ aggressive and sent to pounds/shelters?	As mention above, there are 12 dog pounds in the State and 50 kennels. <u>Suggestion:</u> The State has not indicated what is the capacity of the said dog pounds and whether those are used for permanent housing of stray dogs and how many dogs are being kept in the said pounds/kennels at present. As per the direction of this Hon'ble Court, it is imperative for the State to set up adequate number of dog pounds/shelters to permanently keep aggressive dogs. The State may be directed to take appropriate decision on this aspect of the matter.
4	How many veterinarians are there?	17 veterinarians
5	Number of catching personnel?	17 dog catching personnel working in the State.
6	Number of dog catching vehicles	11 caged vehicles in the State. The ULB has requested to 58 more dog catching vehicles.

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न निदेश दिए जाते हैं-

- I. Amicus Curiae द्वारा शपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा 49 नगरपालिकाओं में 12 pounds/shelters एवं 50 kennels के संबंध में दी गयी जानकारी के संबंध में observation दिया गया है कि इन pounds/shelters/kennels को ABC Rules के मानकों के अनुरूप बनाया जाना है। तीन माह के भीतर प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा अनुमण्डलवार (कम से कम प्रत्येक अनुमण्डल मुख्यालय में एक) पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (ABC Rule, 2023) के मानकों के अनुरूप पशु आश्रय-सह-पशु जन्म नियंत्रण केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।
- II. Amicus Curiae द्वारा शपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये Sterilization एवं Vaccination के आंकड़ों को अत्यंत कम बताया गया है। अतः इस संबंध में पशुपालन निदेशालय द्वारा अभियान चला कर Vaccination किया जायेगा तथा सभी संबंधित नगर निकायों एवं प्रखण्डों द्वारा Sterilization किया जायेगा, जिससे Sterilization/Vaccination में बढ़ोतरी होगी एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक 15 दिनों में इसकी समीक्षा की जायेगी।
- III. वर्तमान में राज्यांतर्गत नगर निकायों के पास मात्र 11 dog catching cage/vehicles उपलब्ध है, जो पर्याप्त नहीं है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकाय एवं अनुमण्डल मुख्यालय में तीन माह के भीतर dog catching cage/vehicle उपलब्ध कराया जायेगा।
- IV. दिनांक-31.10.2025 को राज्य सरकार के स्तर से मुख्य सचिव महोदय द्वारा दायर किये गये शपथ पत्र में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा तैयार किया गया मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को संलग्न किया गया था। संबंधित Stakeholders को उक्त SOP (संलग्न) के अक्षरशः पालन हेतु पुनः निदेशित किया जाता है(अनुलग्नक-‘क’)।
- V. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं उपरोक्त कंडिका-4(I) एवं 4(II) के आलोक में राज्य स्तर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। साथ ही, जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:-

i.	उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी	अध्यक्ष-सह-नोडल पदाधिकारी
ii.	अनुमंडल पदाधिकारी	सदस्य सचिव
iii.	असैनिक चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
iv.	जिले में नगर निकायों के वरीय पदाधिकारी नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य
v.	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
vi.	उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी/व्यक्ति	सदस्य

VI. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कंडिका-25F (Availability of sufficient stock of anti-rabies vaccines and immunoglobulin) के आलोक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को उचित मात्रा में anti-rabies vaccines and immunoglobulin उपलब्ध कराने का तथा कंडिका-25G (to conduct awareness sessions for students and staff on preventive behaviour around animals, first-aid in case of bites, and immediate reporting protocols) के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को अवश्य कार्यवाही हेतु निदेशित किया जाता है। इस पर होने वाले संबंधित व्यय का वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के कुछ अंश के अनुपालन में विधिक एवं वित्तीय कठिनाईयाँ आविर्भूत हैं:-

I. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश कि "National Highways/State Highways/ National Expressways तथा राज्य अंतर्गत नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े गये पशुओं को पुनः उसी स्थान पर न छोड़ा जाय", केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम-11 (19) के प्रतिकूल है।

“उक्त नियम में प्रावधानित है कि नियम-11 (19)-“कुत्तों को उसी स्थान या इलाके में वापिस छोड़ा जाएगा जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था और उनकी रिहाई की तारीख, समय और स्थान ठीक प्रकार से दर्ज किया जाएगा एवं रिहाई के समय स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि टीम के साथ होगा और समय-समय पर, बोर्ड कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने के दौरान उनके स्थान की जियो-टैगिंग के लिए उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान कर सकता है।”

माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में, इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया है कि जन्म नियंत्रण नियम, 2023, Capture-Sterilize-Vaccinate-Release (CSV) मॉडल पर आधारित हैं एवं पारित आदेश की कंडिका-15 में, माननीय न्यायालय के टिप्पणी के आलोक में विधिक कठिनाई निम्नवत् है:-

इन नियमों ने आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए Capture-Sterilize-Vaccinate-Release (CSV) मॉडल को प्रमुख विधि के रूप में स्थापित किया है। नियम 11(19) में निर्दिष्ट इस CSV मॉडल का ‘Release’ (R) घटक, केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि वास्तव में, संपूर्ण कार्यक्रम की वैज्ञानिक और विधायी आधारशिला है। यह मॉडल कुत्तों की क्षेत्रीयता के स्थापित पारिस्थितिक सिद्धांत पर आधारित है। कुत्तों की एक स्थिर, स्टैलाइज और टीकाकरण की गई आबादी अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखती है और अपनी उपस्थिति से ही, आसपास के क्षेत्रों से नए, बिना टीकाकरण वाले या संभावित रूप से आक्रमक कुत्तों के प्रवेश को रोकती है। इन कुत्तों को स्थायी रूप से हटाने का माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन से एक क्षेत्रीय शून्यता पैदा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह शून्यता भविष्य में बिना नसबंदी वाले और बिना टीकाकरण वाले कुत्तों से भर जाने की संभावना होगी, जिससे पूरा एबीसी (ABC) कार्यक्रम विफल हो जाएगा और जन सुरक्षा और रेबीज नियंत्रण संबंधी मुद्दे बने रहेंगे, जिनके समाधान हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निदेश दिए गए हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 का गठन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा-38 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किया गया है। इस अधिनियम को बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार में भारत का संविधान के अनुसूची-7 के सूची-III की प्रविष्टि-17 में

प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर पृथक एवं विरोधाभासी कानून अथवा नियम बनाना भारत का संविधान के अनुच्छेद-254 के विरुद्ध है।

II. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश को लागू किये जाने के संबंध में विशेषकर न्याय निर्णय के पारा-25 (B) एवं 25 (E) को लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ भारित होने की संभावना है। अनुमानित तौर पर झारखण्ड में करीब 5 लाख कुत्तों की आबादी है एवं यह आबादी बड़े शहरी केन्द्रों पर ज्यादा घनत्व में अवस्थित, लगभग 50% कुत्ते शहरी क्षेत्र में ही रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी संख्या में इन कुत्तों को आश्रयगृहों में रखे जाने के लिए वृहत अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसमें भारी मात्रा में वित्तीय भार राज्य सरकार पर आएगी। साथ ही, इन आश्रयगृहों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु भारी मात्रा में Recurring Expenditure का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंडिका-25 (B) में दिया गया निदेश कि सभी संस्थानों यथा-शैक्षणिक संस्थान (निजी/सरकारी), अस्पताल, बस स्टैण्ड/डिपो आदि की घेराबंदी कर कुत्तों के लिए प्रवेश निषिद्ध किया जाय, के अनुपालन पर भी अत्यधिक वित्तीय भार आने की संभावना है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश “पकड़े गये कुत्तों को पुनः उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाए एवं उन्हें आश्रयगृहों में रखने की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाए”, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने हेतु आवश्यक विधिक कार्रवाई किये जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

8. कंडिका-6 एवं 7 में वर्णित निर्णय पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(सुनील कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुमति नं. - १८७

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों एवं पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम 2023 के आलोक में Dog Bite Control, पशु कल्याण एवं Rabies उन्मूलन कार्यक्रमों के सुचारु समन्वय के निमित्त विभिन्न हितधारकों (Stake Holders) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP :-

- मानक संचालन प्रक्रिया (कुत्ते के काटने के रोक-थाम तथा नियंत्रण के लिए)।
- यह SOP ABC नियम 2023 के प्रावधानों तथा Rabies उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार के सलाह के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य श्वान-मानव संघर्ष को कम करते हुए पशु कल्याण को बढ़ावा देना है।

1. Role of Stake Holders and their responsibilities -

- a. नगर निगम/शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies)/पंचायती राज संस्थान (PRI)
 - i. ABC कार्यक्रम (नसबंदी एवं टीकाकरण) का प्रभावी क्रियान्वयन।
 - ii. पर्याप्त बुनियादी ढांचा (ABC Centre) और बजटीय उपबंध करना।
 - iii. सभी पकड़े गये कुत्तों को ABC Rule, 2023 के आलोक में नसबंदी, कृमिनाशक दवा (Dewormed) का प्रयोग, रेबीज टीकाकरण करते हुए पुराने स्थान पर छोड़ना (As per directives of Hon'ble Supreme Court of India)।
 - iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में आक्रमक कुत्तों के लिए शेल्टर होम का निर्माण करते हुए पशु को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना।
 - v. आवारा कुत्तों के भोजन उपलब्ध कराने हेतु Feeding Zone निर्धारित करना।
 - vi. पालतू कुत्तों का अनिवार्य पंजीकरण करना।
- b. पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department)
 - i. ABC कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सतत् निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
 - ii. विभाग द्वारा संचालित सभी पशुचिकित्सालयों के द्वारा Post bite Anti Rabies Vaccination कार्यक्रम के तहत सभी चिन्हित कुत्तों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
 - iii. नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित कर Stray Dogs का Preventive Anti Rabies Vaccination करना।
 - iv. Rabies नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करते हुए बढ़ावा देना।
 - v. ULBs/PRIs एवं AWOs (पशु कल्याण संगठनों)/AWB (जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड) के बीच समन्वय स्थापित करना।

- i. ABC नियम 2023 के अनुपालन सुनिश्चित करना और उल्लंघन को रोकना।
 - ii. कुत्ते के काटने की गंभीर घटनाओं में कानून के अनुसार कार्रवाई करना।
 - iii. पशु क्रूरता संबंधी विभिन्न धाराओं यथा BNS 291, 325 आदि के अनुसार कानून का अनुपालन करना।
- d. स्वास्थ्य विभाग (Health Department)।
- i. कुत्ते के काटने पर National Rabies Control Programme (NRCP) का अनुपालन करते हुए एन्टी रेबीज टीकाकरण (Anti Rabies Vaccine) और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (RIG) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 - ii. लोगों को Rabies के रोक-थाम के बारे में जागरूक एवं शिक्षित करना।
- e. Animal Welfare Organization/Board (पशु कल्याण संस्थान)।
- i. ABC कार्यक्रमों को लागू करने में ULBs/PRIs/पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सहायता प्रदान करना।
 - ii. जनजागरूकता अभियान चलाना।
 - iii. घायल एवं बीमार कुत्तों का बचाव तथा आवासन करना।
 - iv. पशु प्रेमियों को सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खिलाने हेतु निर्धारित Feeding Zone का उपयोग करने हेतु जागरूक करना।
 - v. सूचीबद्ध NGOs के माध्यम से ABC कार्यक्रम/Anti Rabies कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना।

ABC and ARV Vaccination Programme (उद्देश्य एवं लक्ष्य) -

- a. ABC कार्यक्रम Rabies उन्मूलन और आवारा कुत्तों की आबादी को स्थिर करने का मुख्य तरीका है।
- b. शहरी निकाय कम-से-कम 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी एवं टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के निमित्त कार्य करेंगे।
- c. प्रशिक्षित कर्मचारी मानवीय तरीके से कुत्तों को पकड़ेंगे तथा एक समय में केवल एक क्षेत्र में कुत्तों को ABC केन्द्र लाया जाएगा।
- d. प्रमाणित एवं प्रशिक्षित पशुचिकित्सकों द्वारा ही पशुओं में नसबंदी (Sterilization) और ARV टीकाकरण किया जाएगा।
- e. नसबंदी एवं टीकाकरण उपरान्त कुत्तों को V-notch/कॉलर से चिह्नित किया जाएगा। स्वस्थ होने पर कुत्तों को उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था (ABC Rule, 2023)।
- f. आक्रामक एवं बीमार कुत्तों को नसबंदी एवं टीकाकरण उपरान्त स्थायी रूप से निर्मित शेल्टर होम में रखने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा (As per Hon'ble Supreme Court, 2025)।

3. Response to dog bite incident -

- a. कुत्ता काटने के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार यथा बहते पानी में कम-से-कम 15 मिनट साबून का उपयोग करते हुए धोना, घाव को खुला रखते हुए आयोडिन एंटीसेप्टिक लगाना।
- b. निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार एंटी रेबीज टीकाकरण का कोर्स तथा गंभीर घाव केटेगरी-III में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (RIG) का प्रयोग किया जाएगा।
- c. सभी Dog bite के मामलों का संकलन करते हुए डाटा रिपोर्टिंग किया जाना।
- d. पशु निगरानी (Animal Surveillance) - यदि संभव हो, तो काटने वाले कुत्ते को 10-15 दिनों के लिए निगरानी में रखा जाएगा एवं इस अवधि में (Quarantine) कुत्ते में रेबीज का लक्षण नहीं पाये जाने पर रेबीज संक्रमण नहीं माना जाएगा। अतः कुत्ता के काटने के बाद तुरंत ULBs (नगर निगम)/PRIs (पंचायती राज संस्थान) को निगरानी हेतु सूचित किया जाना।

4. Public Awareness and Education (जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण) -

- a. ULBs (नगर निगम)/PRIs (पंचायती राज संस्थान) और AWB (जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड)/NGOs संयुक्त रूप से बेहतर समन्वय के साथ रेबीज की रोक-थाम, पशुओं से सुरक्षित एवं मानवीय व्यवहार तथा पालतू पशुओं के पंजीकरण संबंधी अभियान चलायेंगे।
- b. ULBs (नगर निगम)/PRIs (पंचायती राज संस्थान) और AWB (जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड)/NGOs संयुक्त रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के अगस्त, 2025 के दिशा-निर्देशों के आलोक में आवारा पशुओं को सार्वजनिक स्थानों पर न खिलाने और निर्धारित Feeding Zone का ही उपयोग करने संबंधी जागरूकता अभियान चलायेंगे।
- c. स्कूलों में बच्चों को कुत्तों के प्रति सुरक्षित एवं मानवीय व्यवहार करने को प्रेरित करेंगे।

5. Responsibilities of Pet owners (पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए नियम) -

- a. ULBs (नगर निगम)/PRIs (पंचायती राज संस्थान) से सभी पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करायेंगे।
- b. वार्षिक रेबीज टीकाकरण (Annual ARV Vaccination) अनिवार्य रूप से करायेंगे।
- c. पालतू कुत्तों के काटने की स्थिति में श्वान मालिक सभी चिकित्सा खर्च एवं कानूनी जिम्मेदारियों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

SOP क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों के लिए 30 दिवसीय कार्य अनुसूची

क्र० सं०	चरण	Stake Holders (हितधारक)	कार्य	समय सीमा (दिवस)
1	चरण-1 (तैयारी एवं समन्वय)	नगर निगम (ULB)/ पंचायती राज संस्थान (PRI) एवं पशुपालन विभाग	नोडल समन्वय समिति का गठन – ABC Rule 2023 के तहत जिला/राज्य स्तर पर निगरानी समिति (Monitoring Committee) का गठन।	01-03
2		नगर निगम (ULBs)/ पंचायती राज संस्थान (PRI)	Infrastructure Audit, Shelter Homes का चिन्हितीकरण/निर्माण, क्षमता, उपकरण, कर्मचारियों की उपलब्धता का मूल्यांकन, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के आलोक में आक्रामक आवासा कुत्तों हेतु Shelter Homes के निर्माण हेतु भूमि का चिन्हितीकरण, आवासा कुत्तों हेतु Feeding Zone का निर्धारण।	03-07
3		नगर निगम (ULBs)/ पंचायती राज संस्थान (PRI) एवं स्वास्थ्य विभाग	Anti Rabies Vaccine (ARV)/Rabies Immunoglobulin (RIG) का Stock Audit एवं आवश्यकतानुसार क्रय हेतु आवश्यक कार्यादेश निर्गत करना।	03-07
4		पशु कल्याण संगठन (AWOs) एवं राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (SAWB)	ABC कार्यक्रम हेतु डॉग बाईट के हाई रिस्क जोन की पहचान करना, आवासा कुत्तों हेतु Feeding Zone के निर्धारण में ULBs का सहयोग करना।	03-07
5	चरण-2 (क्रियान्वयन का प्रारम्भ)	नगर निगम (ULBs)/ पंचायती राज संस्थान (PRI) एवं पशु कल्याण संगठन (AWOs)	सघन ABC अभियान प्रारम्भ करना, पहचाने गए Hotspot में कुत्तों को पकड़ना, Deworming, नसबंदी करना और ARV का टीकाकरण करना।	08-14
6		नगर निगम (ULBs)/ पंचायती राज संस्थान (PRI)	Wardwise, Feeding Zone का निर्धारण, पशु प्रेमियों के परामर्श से पहचान करना एवं साईन बोर्ड लगाना।	08-14
7		स्वास्थ्य विभाग	निगरानी एवं प्रशिक्षण – कुत्ते के काटने के मामले में नागित अस्पतालों में ARV और RIV Protocol पर कर्मचारियों एवं चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना।	08-14
8		नगर निगम (ULBs)/ पंचायती राज संस्थान (PRI) एवं पुलिस विभाग	कुत्ता के काटने, आक्रामक कुत्ते, रेबीड कुत्ते या ABC नियमों के उल्लंघन के रिपोर्टिंग हेतु 24x7 Help Line शुरू करना	14
9	चरण-3 (सघन परिचालन एवं जागरूकता)	नगर निगम (ULBs)/ पंचायती राज संस्थान (PRI), पशु कल्याण संगठन (AWOs) एवं राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (SAWB)	नसबंदी, Deworming एवं टीकाकरण उपरान्त कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस छोड़ना (माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार), आक्रामक/बीमार कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करना, पालतू कुत्तों के लिए अनिवार्य पंजीकरण अभियान चलाना तथा वार्षिक ARV टीकाकरण का सत्यापन अभियान चलाना, नागरिकों को Feeding Zone का उपयोग करने हेतु अभियान चलाना।	15-21

10		पुलिस एवं कानून प्रवर्तन	पशु क्रूरता संबंधी प्राप्त शिकायतों का निष्पादन तथा कानून के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, Feeding Zone का अनुपालन सुनिश्चित करना।	15-21
11		पशुपालन विभाग	ABC केंद्रों, शेल्टर होम का औचक निरीक्षण करना।	18-21
12		नगर निगम (ULBs)/ पंचायती राज संस्थान (PRI) एवं स्वास्थ्य विभाग	डाटा विश्लेषण (Dog bite, Vaccination, Number of Sterilization)	22-25
13	चरण-4	नोडल कमिटी/निगरानी कमिटी	अबतक की कृत कार्रवाई की समीक्षा एवं SOP क्रियान्वयन की चुनौतियों का निवारण।	26
14	(समीक्षा एवं प्रतिवेदन)	पशुपालन विभाग/मुख्य सचिव	अबतक की कृत कार्रवाई का समीक्षा करना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	27-29
15		नगर निगम (ULBs)/ पंचायती राज संस्थान (PRI)	अगले माह का ABC कार्यक्रम का लक्ष्य एवं सघन जागरूकता की योजना का निर्धारण।	30
